कोर्ट फीस अदायगी दिनांक 13-2-2020

मामला:- फतेहपुर/बनपाह- फर्रुखाबाद,तहसील- फर्रुखाबाद
न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्या:- 02316/2020

| प्रार्थी गण | बनाम | विपक्षी |
|---|---|---|

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202000320401002316
अधिनियम धारा:- 67,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 19/02/2020

## अंतिम आदेश

ग्राम/तहसील प्रथम : फतेहपुर फर्रुखाबाद पूर्व तहसील-सदर

## निर्णय

प्रस्तुत वाद प्रार्थी [illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी ग्राम फतेहपुर पो० मेहतोली जनपद फर्रुखाबाद ने तहसील प्रशासक श्री [illegible] अधिनियम [illegible] एकमुश्त कर लिया ग्राम सभा मेहतोली प्रथम फतेहपुर फर्रुखाबाद पूर्व तहसील सदर फर्रुखाबाद द्वारा कब्जा के साथ प्रस्तुत किया है कि मौजा मेहतोली प्रथम फतेहपुर फर्रुखाबाद पूर्व के गाटा संख्या 111 रकबा 0.210हे० व 112 रकबा 0.130 कुल क्षेत्रफल 0.340हे० की कब्जा लिया था, जिसका आवेदक ने श्री [illegible] अधिनियम एकमुश्त के तहत [illegible] है व आवेदक प्रशासक है एवं [illegible] भूमिधर है। आवेदक द्वारा [illegible] को अकृषक घोषित कराना चाहता है। उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त आराजी के चारों ओर दीवाल बनी है। उक्त आराजी को अकृषक घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

तहसीलदार सदर के आख्या कराई गयी। तहसीलदार सदर ने अपनी आख्या दिनांक 20.01.2020 में अंकित किया है कि ग्राम मेहतोली प्रथम फतेहपुर फर्रुखाबाद पूर्व गाटा संख्या 110 के गाटा संख्या 111 रकबा 0.210हे० व गाटा संख्या 112 रकबा 0.130हे० का मिला रकबा 0.340हे० में कृषि कार्य नहीं होता है। इन खेतों में निर्माण की गयी है। श्री [illegible] आवेदक [illegible] मेहतोली फर्रुखाबाद द्वारा प्रकाशन/पत्रिका/पुस्तकें प्रतिष्ठित व्यापार पुत्र [illegible] निवासी ग्राम फतेहपुर फर्रुखाबाद [illegible] द्वारा क्रय की जा चुकी है। इस आराजी में खेती, बागवानी, [illegible] कृषिकार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि का निबन्धनकर्ता द्वारा निर्धारित दर पर आर्थिक मूल्य 5,10,000/-(पांच लाख दस हजार रूपया) होती है। विक्रय 01 प्रतिशत 5,100/-(पांच हजार सौ रूपया मात्र) होती है। जिसमें उक्त कब्जाकर चालान की प्रति पावतिक कर धारा 64 के अन्तर्गत अनुमतिक परिषद जिसे धारा की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

मेरे द्वारा आख्या एवं उपलब्ध अभिलेखों का [illegible] तहसीलदार सदर एवं [illegible] का अवलोकन [illegible] से परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम सभा मेहतोली प्रथम फतेहपुर फर्रुखाबाद पूर्व गाटा संख्या 110 के गाटा संख्या 111 रकबा 0.210हे० व गाटा संख्या 112 रकबा 0.130हे० का मिला रकबा 0.340हे० के [illegible] आवेदक है। जो आवेदक श्री [illegible] अपर एकमुश्त [illegible] मेहतोली फर्रुखाबाद द्वारा प्रकाशन/पत्रिका/पुस्तकें प्रतिष्ठित व्यापार पुत्र [illegible] निवासी ग्राम फतेहपुर फर्रुखाबाद मैनपुरी के नाम अभिलेखों में अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, बागवानी, [illegible] पालन इत्यादि नहीं होता है। आवेदक द्वारा [illegible] की गयी है। [illegible] भूमि को उ०प्र०[illegible] की धारा 80 के अन्तर्गत अनुमतिक प्राधिकारी द्वारा धारा के साथ लिया जाता है कि यदि कोई तथ्य छुपा कर अनुमोदन पाया गया है, तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर एवं उप निबन्धक सदर फर्रुखाबाद को तद्नुसार अभिलेखों में आवश्यक इन्द्राज हेतु भेजी जाये। वाद अभिलेख कर्मचारी पंजिका से विलोपित किया जाय।

(अंकित कुमार)
उप जिलाधिकारी सदर
फर्रुखाबाद

[illegible] दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, उद्घोषित किया गया।

(अंकित कुमार)
उप जिलाधिकारी सदर
फर्रुखाबाद

TRUE COPY

Principal
Ram Vaishno College of Pharmacy
[illegible], Naheda, Sirsoli, Farrukhabad

फोटो प्रति आदेश दिनांक 20-7-2022

परगना – मालपुर, तहसील – फर्रुखाबाद, जनपद – फर्रुखाबाद

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या– 02/18/2022

अधीन धारा 24 उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या– 202202021502314

अधिनियम धारा– 30, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता – 2006

आदेश तिथि– 20/07/2022

अंतिम आदेश

ग्राम – किशोरी ग्राम पंचायत – रामनरायन पूर्व तहसील – सदर

## निर्णय

प्रस्तुत वाद श्रीमान पालक पुत्र श्री रामबहादुर निवासी – ग्राम मुहम्मदपुर, पोस्ट – पौसरोली, जनपद – फर्रुखाबाद की तरफ से विपक्षी ग्राम – पंचायत किशोरी ग्राम पंचायत रामनरायन पूर्व तहसील – सदर, जनपद – फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तुत किया है कि मौजा किशोरी ग्राम पंचायत रामनरायन पूर्व के गाटा संख्या 222 रकबा 0.3440 हे0 का ग्राम सभा भूमि विवाद आवेदक ने की जानकारी सिद्ध पंजिकाओं द्वारा की गयी है। आवेदक प्रस्तुत भूमि पर काबिज है। उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई भी भूमि नहीं किसान चल रहा है। उक्त आराजी के पास पीपल बनी है। उक्त आराजी को अनुपयुक्त घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

तहसीलदार सदर से रीपोर्ट करायी गयी है। तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 04.07.2022 में अंकित किया है कि ग्राम किशोरी ग्राम पंचायत रामनरायन पूर्व गाटा संख्या 222 के गाटा संख्या 222 रकबा 0.3440 हे0 में भूमि कार्य नहीं होता है। इसकी निर्णय से स्पष्ट है। की जानकारी सिद्ध पंजिकाओं द्वारा ग्राम – पंचायत किशोरी ग्राम पंचायत रामनरायन पूर्व तहसील – सदर, जनपद – फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तुत/अंकित/दुबारा प्रतिवेदन पालक पुत्र श्री रामबहादुर निवासी – ग्राम मुहम्मदपुर, पोस्ट – पौसरोली, जनपद – फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तुत की गयी है। इस आराजी में खेती, बागवानी, चरागाह गतिविधि का कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि का निरीक्षणकर्ता द्वारा किसी भाव का आकलित मूल्य 1,20,000/– होती है। निकाय एक प्रतिवेदन 1,000/– (एक हजार रुपये मात्र) होती है। निकाय उक्त कब्जाकर पालक की प्रति अंकित कर गया। जो की अधिनियम अनुपयुक्त घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गई है।

मैंने इस आराजी पर पालक उपजिलाधिकारी सदर फर्रुखाबाद की प्रति आख्या का सम्यक रूप से परीक्षण किया है। निस्तारी स्पष्ट है कि ग्राम – मुहम्मदपुर किशोरी ग्राम पंचायत रामनरायन पूर्व तहसील – सदर, जनपद – फर्रुखाबाद स्थित गाटा संख्या 222 रकबा 0.3440 हे0 के संबंधित आदेशित है। जो आवेदक की जानकारी सिद्ध पंजिकाओं द्वारा ग्राम – मुहम्मदपुर, पोस्ट – पौसरोली, जनपद – फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तुत/अंकित/दुबारा प्रतिवेदन पालक पुत्र श्री रामबहादुर निवासी – ग्राम मुहम्मदपुर, पोस्ट – पौसरोली, जनपद – फर्रुखाबाद के नाम अभिलेखों में अंकित है। उक्त भूमि का भूमि कार्य, बागवानी, चरागाह गतिविधि नहीं होता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टतः उक्त आख्या किसान चल रहा है। इसलिए भूमि की उपयोगिता की दृष्टि से के अंतर्गत अनुपयुक्त घोषित इस मार्ग के माध्यम किया जाता है यदि कोई तथ्य मुहम्मद अनुपयुक्त बताया गया है तो आदेश स्थगित किया जायेगा। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार सदर एवं उपजिलाधिकारी फर्रुखाबाद को उपयुक्त में अभिलेखों में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। साथ आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

संजय

(संजय कुमार सिंह)

उप जिलाधिकारी सदर

जनपद – फर्रुखाबाद

आदेश तिथि दिनांक 20.07.2022 को मुझ उपजिलाधिकारी द्वारा घोषित/उद्घोषित किया गया।

संजय

(संजय कुमार सिंह)

उप जिलाधिकारी सदर

जनपद – फर्रुखाबाद

TRUE COPY

Principal
Maa Vaishno College of Pharmacy
Fatehganj, Nuhada, Sisili, Farrukhabad